हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 12.1.09 को सम्पन्न हुयी 69वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित हुये :-

1.	मा0 श्री सदल प्रसाद राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ एवं अध्यक्ष-प्रशासकीय परिषद एच0बी0टी0आई0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री आलोक रंजन प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन एवं उपाध्यक्ष-प्रशासकीय परिषद एच0बी0टी0आई0, कानपुर।	उपाध्यक्ष
3	प्रो0 वी0के0 सिंह प्रतिनिधि-माननीय कुलपति, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, सीतापुर रोड, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री राम गणेश विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
5.	श्री एस0एस0 राम निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर	सदस्य
6.	प्रो0 ए0 विश्वास प्रतिनिधि-निदेशक आई0आई0टी0, कानपुर	सदस्य
7	प्रो0 जे0एन0पी0 राय आचार्य, प्लास्टिक टेक्नोलाजी एच0बी0टी0आई0, कानपुर	सदस्य
8.	प्रो0 जे0पी0 सैनी आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन विभाग बी0आई0ई0टी0, झांसी	सदस्य
9	प्रो0 आर0के0 खितौलिया निदेशक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।	सदस्य सचिव

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थिति नहीं हो सके :-

1.	प्रो0 योगेश सिंह स्कूल आफ इंजीनियरिंग एंड इनफार्मेशन टेक्नोलाजी गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली।	सदस्य
2.	प्रो0 एस0सी0 सक्सेना निदेशक, आई0आई0टी0, रूड़की (उत्तरांचल)	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	सदस्य
4.	प्रो0 एन0एस0 गजभिये मा0 कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
5.	प्रो0 आनन्द स्वरूप प्राचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।	सदस्य

69.01. **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 26.3.08 को सम्पन्न हुई 68वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

परिषद द्वारा संस्थान की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 26.3.08 को सम्पन्न हुयी 68वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.02. **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 26.3.08 को सम्पन्न हुई 68वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण।**

परिषद ने संस्थान की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 26.3.08 को सम्पन्न हुयी 68वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का संज्ञान लिया और कृत कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गयी भविष्य में प्रशासकीय परिषद की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गयी स्वायत्ता के कम में प्रशासकीय परिषद के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक परिवर्तन हेतु संस्थान सोयाइटी की बैठक आहूत करने हेतु अध्यक्ष महोदय से तिथि हेतु अनुरोध किया जाय।

प्रशासकीय परिषद की बैठक संख्या 68.12 के अंतर्गत लिये गये निर्णय के कम में परिषद द्वारा निदेशक से यह अपेक्षा की गयी कि श्री ब्रजेश कटियार, सहायक आचार्य के प्रकरण पर परिषद की आगामी बैठक में अपनी एक सुविचारित आख्या प्रस्तुत करें।

निदेशक से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे संस्थान के प्रत्येक शिक्षक को कम से कम एक परियोजना बाह्य एजेंसियों से प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें एवं उसे शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या में अंकित किया जाय।

69.03. **संस्थान को स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष व्यय, शैक्षिक सत्र एवं परिणामों की घोषणा तथा उत्तीर्ण छात्रों के सेवायोजन की स्थिति का विवरण।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत परीक्षाफल एवं उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया और इस पर संतोष व्यक्त किया गया।

69.04. **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 11.8.08 को सम्पन्न 54वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत संस्थान की वित्त समिति की दिनांक 11.8.08 को सम्पन्न वित्त समिति की 54वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.05. **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 2.8.08 को सम्पन्न 54वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत संस्थान की भवन निर्माण समिति की दिनांक 2.8.08 को सम्पन्न भवन निर्माण समिति की 54वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.06. **संस्थान में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों हेतु परिषद से अनुमोदित सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त नये चिकित्सालय/नर्सिंग होम को जोड़ने हेतु गठित समिति की प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.07. **संस्थान के रसायन विभाग में किये जा रहे परीक्षण कार्य की दरों में वृद्धि किये जाने पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अपनी औपचारिक सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया और साथ ही साथ यह भी अपेक्षा की गयी कि इस प्रकार के प्रस्ताव संस्थान के अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त कर प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

69.08. **संस्थान के विभिन्न विभाग/अनुभाग में आवश्यक सामग्रियों के क्रय किये जाने हेतु निर्धारित वित्तीय क्रय सीमा को बढ़ाये जाने पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्तावानुसार रू0 50000.00 की सीमा तक विभागीय क्रय समिति के माध्यम से एवं रू0 50000.00 से अधिक केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से क्रय की कार्यवाही किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.09. **संस्थान के मानविकी विभाग के विभागाध्यक्ष का प्रभार विभाग के ही आचार्य एवं सहायक आचार्य स्तर के शिक्षक को 3 वर्ष की अवधि हेतु रोटेशन के आधार पर दिये जाने के संबंध पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्तावानुसार परिषद द्वारा मानविकी विभाग के विभागाध्यक्ष का प्रभार विभाग के ही आचार्य एवं सहायक आचार्य को 03 वर्ष की अवधि जैसा कि संस्थान के अन्य विभागों में व्यवस्था लागू है, के अनुसार रोटेशन के आधार पर दिये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

69.10. **संस्थान में निदेशक के पद पर प्रो0 आर0के0 खितौलिया की नियुक्ति एवं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर स्वीकृति।**

परिषद द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए हर्ष व्यक्त किया गया।

69.11. **संस्थान में वर्तमान में प्रभावी अर्जित अवकाश गणना प्रक्रिया को शासन के कर्मचारियों की भांति संस्थान के अधिकारियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू करने पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है और जिसके शीघ्र ही निर्णीत हो जाने की सम्भावना है।

69.12. **संस्थान के पूर्वी प्रांगण स्थित शिक्षकों/अधिकारियों/तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी आवासों मेंआवासरत कर्मचारियों के विद्युत शुल्क दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया प्रस्तावानुसार दरों पर अनुमोदन इस शर्त पर प्रदान कर दिया जाय कि 31 मार्च, 2009 तक संस्थान अपने स्तर पर मीटर लगवाने की कार्यवाही पूर्ण कर ले।

69.13. **श्री एस0एम0 दयाल, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का विधि शुल्क बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया कि परिषद की आगामी बैठक में श्री एस0एम0 दयाल, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा संस्थान के वादों पर की गयी कार्यवाही से संबंधित एक सुविचारित आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाय।

69.14. **संस्थान के दो शिक्षकों (श्री पिनापिल्ली रमेश एवं श्री अशोक कुमार) के त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने के प्रकरण पर विचार।**

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.15. डा0 देवासिस सरकार, सहा0 आचार्य, केमिकल इंजी0विभाग के द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं विदेश जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को पूर्व में संदर्भित किया गया है। अतः उक्त का निर्णय शासन स्तर से अपेक्षित है।

69.16. **श्री विमल कटियार, प्रवक्ता, केमिकल इंजी0 को शोध कार्य हेतु विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर विशेष सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रकरण पूर्व में ही संस्थान द्वारा शासन को संदर्भित किया गया था और

सम्भवतः प्रकरण पर शासन द्वारा निर्णय भी लिया जा चुका है जिससे शीघ्र ही संस्थान को अवगत करा दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा निदेशक से यह भी अपेक्षा की गयी कि भविष्य में शासन को संदर्भित प्रकरणों को परिषद की बैठक में न लाया जाय।

69.17. **श्री राजीव मिश्रा, सहा0 आचार्य, कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी0 विभाग को कार्यमुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा इसे शासन को संदर्भित किये जाने की अपेक्षा के साथ ही शासन के निर्णय की प्रतीक्षा के निदेश दिये।

69.18. **संस्थान के निदेशक को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् सामान आदि लाने हेतु सिफ्टिंग भत्ता अनुमन्य किये जाने के प्रकरण पर विचार।**

इस प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा मत प्रकट किया कि निदेशक को सिफ्टिंग भत्ता वित्तीय हस्तपुस्तिका में विहित प्राविधानों के अनुसार शासन के अनुमोदनोपरान्त भुगतान किया जायेगा।

परिषद के सम्मुख प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया तथा यह भी कहा गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के हिसाब से जो भी नियमानुसार हो उसके अनुसार भुगतान किया जाय।

69.19. **संस्थान में लागू किये गये परीक्षण एवं परामर्शी नियमावली के नियम 2.2 के प्राविधानानुसार परिषद की ओर से सदस्य नामित किये जाने के प्रकरण पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार परिषद द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संस्थान के वरिष्ठतम आचार्य प्रो0 एस0के0 अवस्थी को नामित किया जाय साथ ही परिषद द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कियदि प्रो0 अवस्थी द्वारा उक्त सदस्यता पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो वरिष्ठता सूची में उनके पश्चात् के आचार्य को इस हेतु नामित किया जाय।

69.20. **संस्थान की केन्द्रीय क्रय समिति में संस्थान नियमावली के नियम 30 (30बी) के अन्तर्गत दो वरिष्ठ शिक्षकों को समिति का सदस्य मनोनीत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा प्रस्तावानुसार संस्थान की केन्द्रीय क्रय समिति में आचार्य संवर्ग से प्रो0 एस0के0अवस्थी, आचार्य, केमिकल इंजी0 विभाग तथा सहा0आचार्य संवर्ग से डा0 राजीव मिश्रा को नामित किया गया साथ ही परिषद द्वारा यह भी निर्णय दिया गया कि डा0 राजीव मिश्रा को कार्यमुक्त किये जाने का प्रकरण उनके पक्ष में निर्णीत हो जाता है तो सहायक आचार्य के वरिष्ठता

क्रम में द्वितीय स्थान पर श्री एच0एस0 निरंजन, सहा0 आचार्य, सिविल इंजी0 विभाग को नामित किया जाय।

69.21. **संस्थान अतिथि गृह के कमरों का किराया बढ़ाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचार विमर्श उपरान्त अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.22. **संस्थान के शिक्षकों को राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने हेतु संस्थान से वित्तीय सहायता एवं अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

इस प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि संस्थान की वित्तीय स्थिति जितनी बार शिक्षक को राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने हेतु अनुमति देने के लिए सक्षम है उतनी बार शिक्षकों को अनुमति प्रदान कर दी जाय। इसके उपरान्त शिक्षक को अपने श्रोतों से वित्तीय व्यवस्था कर सेमिनार में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा संस्थान शिक्षकों को राष्ट्रीय सेमिनार आदि में भाग लेने का वर्ष में एक बार अवसर दिये जाने पर अनुमति प्रदान की एवं साथ ही यह भी निर्णय दिया कि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी शिक्षक विशेष का किसी सेमिनार में वर्ष में द्वितीय बार जाना परमावश्यक हो तो निदेशक द्वारा संस्थान पर समिति गठित कर प्रकरण पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

69.23. **संस्थान को प्राप्त शैक्षिक स्वायत्तता के अंतर्गत परीक्षा नियंत्रक को निःशुल्क आवास दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया एवं यह भी अपेक्षा की गयी कि संस्थान में पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को बनाये रखा जाय।

69.24. **संस्थान के निदेशक प्रो0 आर0के0 खितौलिया को संस्थान के सिविल इंजी0 विभाग में कन्सल्टेंसी (परामर्श) कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचार विमर्श उपरान्त अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

69.25. **संस्थान के शिक्षकों एवं अधिकारियों की चयन समिति में विशेषज्ञों की संशोधित एवं परिमार्जित सूची के प्रस्ताव पर विचार।**

इस प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि कि चयन समिति के विशेषज्ञों के नाम का पैनल तैयार कर शासन के अनुमोदनोपरान्त नामित करने की वर्तमान व्यवस्था निर्विवाद है इसे यथावत बनाये रखा जाय।

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत सूची पर परिषद द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि विशेषज्ञों के नाम संस्थान के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों से प्राप्त कर एवं यदि आवश्यक हो तो उस सूची को निदेशक स्तर से संशोधित एवं परिमार्जित कर सीधे अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

69.26. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थान को शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने के क्रम में कृत कार्यवाही का विवरण।**

परिषद द्वारा संस्थान स्तर पर शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त करने के उपरान्त कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

परिषद द्वारा परीक्षा उपरान्त छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के आधार पर मूल्यांकित किये जाने के संबंध में निर्णय दिया कि उक्त व्यवस्था पर आगामी एकेडमिक कौंसिल की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

69.27. **उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में संस्थान की स्थिति का विवरण।**

परिषद द्वारा प्रस्तुत परीक्षा परिणामों पर संतोष व्यक्त किया गया।

69.28. **परीक्षण एवं परामर्श एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से संस्थान की आन्तरिक आय बढ़ाने की योजना के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य, आई0टी0आई0, कानपुर के साथ मिल कर इस संबंध में एक संयुक्त समिति गठित कर कार्ययोजना बना ली जाय। साथ ही संस्थान का पंजीकरण कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

69.29. **संस्थान के अंतर्गत चल रहे विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टेकिप) के अंतर्गत किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत विवरण पर परिषद द्वारा संतोष व्यक्त किया गया साथ ही परिषद द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत अवशेष धनराशि को 31 मार्च, 2009 के पूर्व निश्चित रूप से Soft component हेतु व्यय कर लिया जाय अन्यथा उक्त धनराशि वापस हो जायेगी।

परिषद द्वारा विचार विमर्श के दौरान यह भी चर्चा की गयी कि संस्थान के शैक्षिक एवं आवासीय भवनों की जीर्ण शीर्ण अवस्था के संबंध में उनको

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत सूची पर परिषद द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि विशेषज्ञों के नाम संस्थान के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों से प्राप्त कर एवं यदि आवश्यक हो तो उस सूची को निदेशक स्तर से संशोधित एवं परिमार्जित कर सीधे अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

69.26. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थान को शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने के क्रम में कृत कार्यवाही का विवरण।**

परिषद द्वारा संस्थान स्तर पर शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त करने के उपरान्त कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

परिषद द्वारा परीक्षा उपरान्त छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के आधार पर मूल्यांकित किये जाने के संबंध में निर्णय दिया कि उक्त व्यवस्था पर आगामी एकेडमिक कौंसिल की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

69.27. **उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में संस्थान की स्थिति का विवरण।**

परिषद द्वारा प्रस्तुत परीक्षा परिणामों पर संतोष व्यक्त किया गया।

69.28. **परीक्षण एवं परामर्श एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से संस्थान की आन्तरिक आय बढ़ाने की योजना के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य, आई0टी0आई0, कानपुर के साथ मिल कर इस संबंध में एक संयुक्त समिति गठित कर कार्ययोजना बना ली जाय। साथ ही संस्थान का पंजीकरण कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

69.29. **संस्थान के अंतर्गत चल रहे विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टेकिप) के अंतर्गत किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत विवरण पर परिषद द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही परिषद द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत अवशेष धनराशि को 31 मार्च, 2009 के पूर्व निश्चित रूप से Soft component हेतु व्यय कर लिया जाय अन्यथा उक्त धनराशि वापस हो जायेगी।

परिषद द्वारा विचार विमर्श के दौरान यह भी चर्चा की गयी कि संस्थान के शैक्षिक एवं आवासीय भवनों की जीर्ण शीर्ण अवस्था के संबंध में उनको

जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव सीधे कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जायें।

69.30. **भारत सरकार के डी0एस0टी0, डी0बी0टी0 एवं ए0आई0सी0टी0ई0 आदि को संस्थान स्तर से प्रेषित किये गये प्रोजेक्टों एवं उपर्युक्त संदर्भित विभागों से स्वीकृत प्रोजेक्टों का विवरण।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत विवरण का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया और संतोष व्यक्त किया गया।

परिषद द्वारा संस्थान के **शोधार्थियों** को **मानदेय स्वरूप** धनराशि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकानुसार दिये जाने हेतु प्रस्ताव संस्थान की अगली वित्त समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

69.31. **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।**

69.31.01 **संस्थान की विभिन्न समितियों/परिषदों में नामित सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में।**

परिषद के संज्ञान में यह लाया गया कि शासन अथवा किसी अन्य स्तर पर संस्थान की विभिन्न समितियों आदि में नामित किसी सदस्य के कार्यकाल के समापन के पूर्व ही उसके प्रतिस्थानी हेतु प्रस्ताव समय सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर दिया जाय। यदि किसी कारणवशः सदस्य नामित नहीं हो पाते हैं तो पूर्व में नामित सदस्यों को ही अगला सदस्य नामित होने तक बैठकों में आमंत्रित किया जाय।

69.31.02 **निदेशक के अवकाश अवधि में निदेशक के कार्यभार वरिष्ठ शिक्षक को सौंपे जाने पर विचार।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा संस्थान में निदेशक के अवकाश अवधि में निदेशक का कार्यभार संस्थान के किसी अधिष्ठाता को सौंपे जाने के पूर्व निर्णय पर अपना अनुमोदन पुनः प्रदान किया गया और अपेक्षा की गयी कि यही व्यवस्था बनाये रखी जाय।

69.31.03 **कुलसचिव का कार्यभार किसी फैकल्टी को सौंपे जाने एवं कुलसचिव का पद विज्ञापित किये जाने पर विचार।**

इस प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए मत दिया गया कि कुलसचिव के रिक्त पद पर चयन हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से संस्थान के लेखाधिकारी से कुलसचिव का अतिरिक्त कार्यभार संस्थान के किसी फैकल्टी मेम्बर को हस्तान्तरित करा

दिया जाय। साथ ही परिषद द्वारा श्री यू0एस0 तोमर, कुलसचिव, उ0प्र0प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 09 जनवरी, 2009 का संज्ञान लेते हुए यह भी अपेक्षा की गयी कि संस्थान के कुलसचिव के रिक्त पद को तत्काल विज्ञापित कर तीन माह के भीतर चयन कार्यवाही सम्पन्न कर पद पर नियुक्ति कर ली जाय।

69.31.04 संस्थान के शैक्षिक माडल और मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में।

इस प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि संस्थान के शैक्षिक माड्यूल और मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में वर्तमान व्यवस्था का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित व्यवस्था का विस्तृत प्रारूप तैयार कर शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

परिषद के सम्मुख निदेशक के पत्र संख्या 314/डी0बी0/शासन/09, दिनांक जनवरी 09, 2008 के क्रम में परिषद द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि संस्थान में वर्तमान में चल रही व्यवस्था ठीक है।

परिषद द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था पर भी संतोष व्यक्त किया गया और यह अपेक्षा की गयी इसे संस्थान की एकेडमिक कौंसिल की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुयी ।

(आर0के0 खितौलिया)	(आलोक रंजन)	(सदल प्रसाद)
सदस्य सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष